राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–65 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह, राजेन्द्र नगर, सोहनी पट्टी, वार्ड नं॰–33, नया बस स्टैण्ड, बक्सर, बिहार–802101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
01.12.2022	श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह, राजेन्द्र नगर, सोहनी पट्टी, वार्ड नं॰–33, नया बस स्टैण्ड, बक्सर, बिहार–802101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–28.11.2022 इस कार्यालय में दिनांक–30.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 802698 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–01.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–01.11.2022 .की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–01.11. 2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–21.12.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 1/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–65 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.12.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ / स्था॰–118 / 22–202 दिनांक–14.11.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह, राजेन्द्र नगर, सोहनी पट्टी, वार्ड नं॰–33, नया बस स्टैण्ड, बक्सर, बिहार–802101 के उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–01.11.2022 को प्रपत्र ड़, पत्रांक–202 / रा॰स॰ (III) दिनांक–14.11.2022 के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को स्थानांतरित किया है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन (प्रपत्र 'क') को इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (3) के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है तथा इसकी प्रति अपीलार्थी को भी भेजी गई है, इसलिए प्रश्नगत अपीलवाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/12/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	